

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री राम लाल भीणा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या - 132/2025

उंनवान

मोहम्मद खान पुत्र सखी खान जाति बनाम 1. तहसीलदार रामसर।  
मुसलमान निवासी बुक्कडी तहसील  
रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130,131, 136 राज0भू0राज0 अधिनियम

आदेश

दिनांक 18.12.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी मोहम्मद खान पुत्र सखी खान जाति मुसलमान निवासी बुक्कडी तहसील रामसर द्वारा दिनांक 22.04.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,132,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सपटित नियम 58,59,60,66,86 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रकरण को दर्ज किया जाकर तहसीलदार रामसर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार रामसर के पत्रांक राजस्व/कदीमी रास्ता/2025/2895 दिनांक 09.12.2025 द्वारा निम्नानुसार रिपोर्ट प्राप्त हुई है मौजा बुक्कडी पटवार मण्डल भीण्डे का पार के खातेदारी खसरा नंबर क्रमशः 64,63,62, व 67 किस्म एंव बा.सो. बा.दो. में एक (बारहमासी रास्ता). चल रहा है परन्तु राजस्व अभिलेख एंव राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का कही भी अंकन नहीं है। उक्त रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन संलग्न दर्शाये अनुसार ए एंव बी के अनुसार राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज- 6/2003/परि/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया है।

क.स.	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा हेक्टेयर	किस्म	रास्ते में प्रभावित भूमि रकबा हेक्टेयर में	रास्ता अंकन के बाद शेष खसरे का रकबा हेक्टेयर में
1.	बुक्कडी	64	1.0441	बा.दो.	0.1303	0.9138
		63	3.8850	बा.सो.	0.1619	3.7231
		62	4.5729	बा.दो.	0.0547	4.5182
		67	13.8321	बा.दो.	0.0612	13.7709
2.	योग :-	04.				

तहसीलदार रामसर द्वारा प्रस्तावित मौके पर स्थाई रूप से चल रहे कदीमी/ बारहमासी रास्ता जो हर मौसम /सीजन के अनुसार बदलता नहीं है एंव वर्ष भर आमजन के आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध रहता है तथा वर्तमान में चालू हैं तथा प्रस्तावित भूमि वर्तमान में रास्ते में उपयोग में ली जा रही है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन एवं तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बुक्कडी पटवार मण्डल भीण्डे का पार के खसरा नंबर क्रमशः 64,63,62, व 67, किस्म बा.दो. एंव बा.सो. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव संलग्न नक्शे में ए से बी तक निजि खातेदारी भूमि में से चालू स्थाई रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में रखते हुये नक्शे व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाकर संलग्न नक्शे में A से B तक रास्ते के रकबे सहित किस्म गेर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

उक्त आदेश आज दिनांक 18.12.2025 को ग्रामीण सेवा फॉलोअप शिविर भूअनि वृत्त मामरिसा में सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली मसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो एंव नम्बर से कम हो।

(राम लाल भीणा)

उपखण्ड अधिकारी रामसर

दिनांक :- 18/12/2025



क्रमांक /राजस्व/2025/ 1076-70  
प्रतिलिपि :-

- 1.तहसीलदार रामसर को पालनार्थ।
- 2.पटवारी हल्का भीण्डे का पार।
- 3.संबधित खातेदार श्री.....को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी रामसर

